फोन न0 0612--2219545 (का0)
फैक्स न0--0612--2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

10.2.2014

–: आदेश :–

आवेदक **श्री संजय सिंह**, पिता--श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह, सा0–फ्लैट सं0–A / 101, जगदेव सरस्वती अपार्टमेंट, मौर्य पथ, पो0–खाजपुरा, थाना–शास्त्रीनगर, जिला--पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर पिस्टल / रिवाल्वर / रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन--पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09--124 / 2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच / सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–944 / गो0, दिनांक–27.08.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मूल में अग्रसारित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, शास्त्रीनगर के जाँच प्रतिवेदन के कंडिका--10 में अंकित टिप्पणी के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को बिना अनुशंसा के अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, शास्त्रीनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे Building Construction का कार्य करते हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान--माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में 'हाँ' प्रतिवेदित किया गया है, लेकिन विशेष सुरक्षा भय के संबंध में कोई विशेष तथ्य प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय / खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर पिस्टल / रिवाल्वर / रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री संजय सिंह, पिता–श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह, सा0–फ्लैट सं0–A / 101, जगदेव सरस्वती अपार्टमेंट, मौर्य पथ, पो0--खाजपुरा, थाना--शास्त्रीनगर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर पिस्टल / रिवाल्वर / रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।